(S.D.O.)

23/6/2025		पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। उभय–पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की ओर से विवादित आराजी में आलोच्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। प्रकरण उतरदाता के वारिसान तलबी में विचाराधीन चल रहा था। नियत पेशी पर अंधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया,जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण के हक–हकूक निहित होने के कारण प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित हैं। अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 05/2021 में पारित आदेश 20.12.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः बराबद किया जवें।	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन लाया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण पक्ष की ओर से 09 माह से अधिक समय तक तलबी नहीं करवाने के कारण अपील विधि सम्मत् खारिज की गई है। प्रार्थीगण येन–केन प्रकार से विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन् कीया तथा निर्णित पत्रावली की प्रमाणित आदेशिकाओं का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूल अपील वारिसान की तलबी में वारिसान चल रही थी,लेकिन तामीली नहीं करवाने के आधार पर प्रकरण को खारिज कीया गयाा। न्यायालय हाजा का मानना है कि पक्षकारान् का उतरदायित्व बनता है,कि तामीली सम्यक रूप से सही समय पर करवानी चाहिए,तो भी हमारा मत है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, न की तकनिकी आधार पर। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन न्यायहित में स्वीकार कीया जाकर अपील संख्या 05/2021 चैनाराम के वारिसान बनाम उमाराम के वारिसान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः बरामद किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा